विषय:-विषय:

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.क्र 3331/2007 श्री कृष्ण कुमार शर्मा विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

का विभाग

छब्बोस-२ सचिवालय

पं.क. 435/2016/58, दि. 06.02.016. वाणिज्यक उद्योग रोज.विभाग से प्राप्त नोटशीट आर.नं. 335, दि. 03.02.16 के संलग्नडिप्टी. रजि. उच्च न्याया. जबलपुर से प्राप्त याचिका।

9.1/0

व्य0 टीप का संलग्न याचिका कृपया अवलोकन हो। विषयांकित प्रकरण वादी द्वारा मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर किया गया है, का संबंध विभाग (एग्रो) से होने के कारण वाणिज्यक उद्योग रोजगार विभाग ने इस विभाग को उपलब्ध कराया है। प्रकरण में वादी ने प्रतिवादी कं. 3 के आदेश दि. 26.02.2007 के विरूद्ध वाद दायर किया है।

अतः प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किये

जाने हेतु प्रस्ताव एग्रो से मंगाया जाना उचित होगा।

सहमति की दशा में पत्र स्वच्छ प्रतियों में अनु./

हस्ता. प्रस्तुत है।

310310

USTED)

589/2016/18, A20 05/3/2016. Ageroom 47 3.7807, 120 29/02/2016.

P.33/c

०म ० पना डाया Agers ने विक्नांकित प्रवाहक में कार्य शेत्रीय प्रबंधक, मण्यव्याउम कृषि उपार प्रमाय कार्य के प्रमाय कार्य माय अध्यमी श्रिकेम किये वार्य में अन्दिशमा et 2

जावक क् 493 / /58/उसाप्र

दिनांक 24.2.2016

कर: जनार किस्कर्त भिन्निय भित्र लाम हिंत. अधिका भत्र म्बद्ध तेश्यमा

As mit

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT

JABALPUR

Process Id: 197390/2015

WP/3331/2007

अस्य प्रदेश शासन वाणिक प्रदेश शासनात विनाम पंजी क. 1335/2016/C-11 दिनांक 03/62/2016

FOR FINAL HEARING Fixed for 25.01-2016

WP-DA-6

Respondent No. 1

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur

To,

The State Of Madhya Pradesh, Agriculture Mp.govt.mantralaya,vallabh Bhawan,bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 11-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 3331/ 2007

Sir/Madam.

I am directed to inform you that one **Krishna Kumar Sharma** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/3331/2007**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **25.01.2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

artown or Burns Parus

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

उथ्योग विभाग को होने हे काए। इपमा

30 20 AN PLOS with

असुः भीरा

Aux 25th Caolo

Sand Startage)

25/1/16

मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल



//आदेश//

भोपाल, दिनांक 🤊 / 03 / 2016.

क्रमांक एफ 8-7/2016/58 : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 अधिनियम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 3331/2007(एस) श्री कृष्ण कुमार शर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जबलपुर को प्रभारी अधिकारी के रूप में अधिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नांकित कार्य करेगा :--

- 1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर किसी विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ठ की जावेगी।
- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- वारपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये जिससे कि, शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज/पत्र भेजेगा :-
 - (अ) वाद पत्र की प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट.
 - (ब) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप,
 - (स) उन सभी दस्तावेजों की सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (द) मामले में विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज / पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की तारीख भी वर्णित होना चाहिए।
- 6. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना मामले और उसके क्रम और प्रगति में नियम किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सर्दव अवगत रखना।
- जब कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है, विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।

Auro

2/-

यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राव 9. प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

जैसे ही अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से 10. तत्काल जानकारी देना होगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावें।

प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायता देगा या इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि, कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज/ दुबी हुई नहीं रह जाये।

प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चित होता है तो परिणाम की रिपोर्ट विभागध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय

की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ की जाये।

प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि, उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश या पुनरीक्षिण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई। अतएव वह आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रेशासकीय) विभाग को अग्रेषित करें।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> > (अनुप कुमार मुण्डा) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन

्र उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

क्रमांक एफ 8-7/2016/58, प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 🥱 /03/2016.

- महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.। 1.
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल। 2.
- प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल की ओर उनके पत्र कं. 3. मुख्या / विधि / 2016 / 7807, दि.29.02.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित।
- क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव भेजी जानी चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये।
- शासकीय अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक 5. कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- पर्सनल नस्ती।

OIC

मध्य प्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग